न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 106./2022/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 6.4.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

कालूराम राठोर आ0 रमेशचन्द राठोर जाति तेली निवासी पचपहाड तहसील पचपहाड जिला झालावाड।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पचपहाड जिला झालावाड राज0 ।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 30.4.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल नं0 1/अपील/2022 बउनवान कालूराम राठोर बनाम राज0 सरकार जरिये तह0 पचपहाड मे पारित निर्णय दिनांक 15.2.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि तहसीलदार पचपहाड ने ग्राम पचपहाड की मंदिर माफी की भूमि आराजी ख0 नं0 380 कुल रकबा 0.3035 मे से 0.0100 भाग पर अपीलार्थी द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने एंव बेदखल करने का निर्णय दिनांक 16.12.2021 को पारित किया गया। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलार्थी ने तहसीलदार पचपहाड का निर्णय निरस्त करने हेतु अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड के यहा पेश की गई। जिला कलक्टर झालावाड द्वारा तहसीलदार पचपहाड के निर्णय मे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपील निर्णय दिनांक 15.2.2022 से खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.2.2022 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई जिसके सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना आधार के अवैध अतिक्रमी मान कर भारी कानूनी एंव तथ्यात्मक भूल की है। इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि उक्त भूमि का एक छोटा सा भाग मन्दिर के रख रखाव व मरम्मत आदि की राशि की जरूरत होने पर उपयोग हेतु दिया है न कि बेचान किया है। उक्त प्रकरण मे खातेदार मन्दिर श्री गोपाल जी भी आवश्यक पक्षकार थे जिन्हे पक्षकार बनाये बगेर प्रकरण श्रृवण योग्य ही नही है न ही मन्दिर के पुजारी को बुलाकर पूछताछ की गयी। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.2.2022 अपास्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि तहसीलदार पचपहाड ने वादग्रस्त आराजी के संबध मे भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 (क) उपधारा 5

तथा सपठित धारा 91 के अन्तर्गत अपीलार्थी को भूमि पर अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित करने मे त्रुटि की है क्योकि वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की है राजकीय नही है। मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। अतिक्रमण हटाने का खातेदार या संरक्षक को अधिकार होता है। राज्य सरकार कार्यवाही नही कर सकती। बहस मे यह भी बताया कि कानूनन कार्यवाही राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत की जानी चाहिये थी ना कि एलआरएक्ट के अन्तर्गत। वादग्रस्त भूमि का एक छोटा सा भाग मन्दिर के रख रखाव व मरम्मत आदि की राशि की जरूरत होने पर उपयोग हेतु अपीलांट को लीज पर दिया है न कि बेचान किया है। मंदिर मूर्ति को पक्षकार बनाये बिना प्रकरण श्रवण योग्य नही था। मंदिर के पुजारी से भी कोई पूछताछ नही की गई। उक्त तथ्यों पर गौर नही कर निर्णय पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अंत मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट के तर्को का खण्डन करते हुये प्रकट किया कि मंदिर माफी की भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति मे पटवारी या पुजारी द्वारा ध्यान मे जाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही कर सकता है जिस प्रकार से राजकीय भूमि पर कार्यवाही की जाती है। अतः राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने संबधी अपीलांट का तर्क विधिसम्मत नही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 380 कुल रकबा 0.3035 मे से 0.0100 भाग पर अपीलार्थी द्वारा नींव कुर्सी भर कर टीन शेड लगाकर अतिक्रमण किया गया है वह भूमि मंदिर माफी की भूमि है व मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। ऐसी स्थिति मे मंदिर माफी की भूमि पर किसी को भी मालिकाना हक प्राप्त नही होने से की गई लीज डीड का कोई महत्व नही है। राजस्व विभाग के परिपत्र प.3 (2)राज–6/पार्ट/5 दिनांक 12.9.2018 के परिपेक्ष्य मे मंदिर मूर्ति के हितो के सरक्षंण हेतु दयित्वाधीन होते हुये मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति मे पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान मे लाये जाने पर तहसीलदार द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार से की है जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्ध की जाती है। तहसीलदार पचपहाड ने आराजी नं0 380 कुल रकबा 0.3035 मे से 0.0100 भाग पर अपीलांट द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने व बेदखल करने का 16.12.2021 को निर्णय पारित किया है। अतः हस्तगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का कथन कि वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की है राजकीय नही है। मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है। अतिक्रमण हटाने का खातेदार या संरक्षक को अधिकार होता है। राज्य सरकार कार्यवाही नही कर सकती तथा कानूनन कार्यवाही राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत की जानी चाहिये थी ना कि एलआरएक्ट मे राजस्व विभाग के परिपत्र प.3 (2)राज–6/पार्ट/5 दिनांक 12.9.2018 के परिपेक्ष्य मे विधिसम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पचपहाड के निर्णय मे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील को निर्णय दिनांक 15.2.2022 से खारिज किया है जिसमे हम किसी प्रकार का विधिक एंव तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 15.2.2022 न्यायोचित होने से अपील अपीलांट सारहीन, बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा